

# **Effective Welfare Measures**

२५. H. अधिकारी (S)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)  
फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र. 277/05/आउशि/बजट/17  
प्रति,

रायपुर दिनांक. 13.11.2017

**प्राचार्य**

शासकीय गैंद सिंह महाविद्यालय

विषय :- चारामा जिला कांकेर (छ.ग.)

मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद  
में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय को नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार चिकित्सा  
प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जाता है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
	HEAD 41-2202-03-103-0102-0798	01-015
1	शासकीय गैंद सिंह महाविद्यालय चारामा जिला कांकेर (छ.ग.)	52000

2. आबंटन का अभिग्राय भुगतान की रवीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचया नियम 1958 व शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनियाईँल करते हुये संबंधितों के द्वारा किये गये देखकों के परिणाम उपर्युक्त नियम द्वारा ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या होगी।

3. उक्त आबंटन मांग संख्या-41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202 सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)-सरकारी कालेज और संस्थाये—0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -798- कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-01-वेतन भत्ते - 015-चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय हो। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्रमांक 278/05/आउशि/बजट/17  
प्रतिलिपि:-

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर  
रायपुर, दिनांक. 13.11.2017

- महालेखाकार, ४०८० रायपुर
- आयुक्त, कोषलेखा एवं पैशन, रायपुर
- संबंधित कोषालय अधिकारी  
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

KAM  
Principal

Govt. Shaheed Gandsingh College Charam  
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य शासकीय शहीद गैंद सिंह महाविद्यालय चारामा  
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्र. १८/लेखा/2017

चारामा दिनांक 10.08.2017

प्रति,

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, ब्लाक-सी-30,  
द्वितीय एंव तृतीय मंजिल इंद्रावती भवन  
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मांग संख्या 44 आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट आबंटन बाबत्।

-----0-----

उर्पयुक्त विषयान्तर्गत इस महाविद्यालय को वर्ष 2017-18 के लिए बजट आबंटन की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	मद का नाम	आवश्यकता राशि	रिमार्क
1	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 01-015	र 52000.00	सत्र 2017-18 में देयकों का भुगतान इस महाविद्यालय में कार्यरत डॉ.आयशा कुरैशी,सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के स्वयं के ईलाज के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि र 51,575.00 भुगतान हेतु।

कृपया उक्त मद में आबंटन प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे की वर्ष 2017-18 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक भुगतान करने में कठिनाई ना हो।

संलग्न:- चिकित्सा देयक की छायाप्रति।



(प्रो. ए. के. केशरवानी)

प्राचार्य

शासकीय शहीद गैंद सिंह महाविद्यालय  
Chattisgarh  
छ.ग. चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर  
Date 10.08.2017  
Principal  
Govt. Shaheed Gendong College (छ.ग.)  
Dist. Utkal Bastar Kanker (G.G.)

KAM

Principal  
Govt. Shaheed Gendong College (छ.ग.)  
Dist. Utkal Bastar Kanker (G.G.)

# **Effective Performance Appraisal System**

## **For Teaching Staff**

# छत्तीसगढ़ शासन

## उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0)  
हेतु

वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष .....

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम .....

पदनाम ..... विषय .....

कर्मचारी कोड नं. ....

महाविद्यालय .....

**(भाग—क सामान्य सूचना)**

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. विभाग :
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
  - i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक .....
  - ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक .....
  - iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक .....
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
9. स्थायी पता ( पिन कोड सहित ) :
 

फोन नं. :

ई मेल :
10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :

11. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसे वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

## भाग-ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएएस) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख ले)

### **वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप**

- (i) व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)

क्र. स.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आबंटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं / प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत

\* व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रयोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएँ (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

- (ii) पाठन / परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान / अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)	API अंक			

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण—अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग,

विषय—वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक .....

न्युनतम अंको की आवश्यकता – 75

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक—15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		

	कुल (अधिकतम अंक-15)		
	कुल (i+ii+iii) (अधिकतम 25 अंक)		

## वर्ग II में न्यूनतम आवश्यक अंक — 15

### वर्ग : III. शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स में प्रकाशित पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह—लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ख) (i) आलेख / अध्याय, पुस्तकों में प्रकाशित

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई?	सह—लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

**(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र**

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

**(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें**

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह—लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

**III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं**

**(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं**

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं/परामर्शी

क्र.सं.	नामाकंन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक

**III. (घ) शोध मार्गदर्शन**

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी.एच.डी. या समान				

**III. (ङ.) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण—अनुशिक्षण—मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)**

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

**(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र**

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

**(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता**

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन/ संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय है ?	API अंक

**(IV) API अंको का सार**

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठ्येत्तर, विस्तार,			
	व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

## भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें  
जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा ( जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नथी  
करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो )

- |    |     |
|----|-----|
| 1. | 6.  |
| 2. | 7.  |
| 3. | 8.  |
| 4. | 9.  |
| 5. | 10. |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारियाँ महाविद्यालय/  
विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS  
प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नथी किए गए हैं ।

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / महाविद्यालय अध्यक्ष / प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफार्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी  
संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/ कालेज द्वारा जाँच की जायेगी तथा इसकी  
सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी ।

भाग—घ.

**(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का  
अभिमत)**

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष .....

के स्व—मूल्यांकन पर टीप—

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हाँ तो किन—किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु—	कारण—
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशासित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम .....	नाम .....
पदनाम .....	पदनाम .....

**संयुक्त संचालक**  
**आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन**  
**प्रकोष्ठ**

**अपर संचालक**  
**उच्च शिक्षा संचालनालय**  
**रायपुर (छोगो)**

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत हैं ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर

समीक्षक अधिकारी के

नाम .....

.....

पदनाम .....

.....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

नाम .....

पदनाम .....

## PBAS प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफार्मा का भाग—ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट—111, तालिका—1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादमिक वर्ष हेतु भरा जायेगा।

प्रोफार्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक—पृथक क्षेत्रों हेतु प्रदान किए गए या अगसारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है।

स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगे। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

**नोट :** स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच तथा छानबीन—सह—जॉच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

**श्रेणी :** 1. शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएँ, जॉच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 75 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली है उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, वकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। <b>100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50</b>	अधिकतम अंक : 50
--	-----------------

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली है, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक : 10
---	-----------------

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य—विवरण के अनुसार पाठ्य—पुस्तक /नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्चा संवर्धन (100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)	अधिकतम अंक : 20
--	-----------------

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण—अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण/अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूल्स : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक/ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉड्यूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण – अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालयः संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण/वैब आधारित शिक्षण तथा ई-पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक
कालेज/विश्वविद्यालय तथा सत्रीय/वार्षिक कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य—10 अंक, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन—5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना—5 अंक) (100 % अनुपालन = 20 अंक)	20
कालेज/विश्वविद्यालय परीक्षा/मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक/निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन = 10 अंक)	10
समन्वयन जेसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन = 10 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

**श्रेणी : II सह-पाठ्येतर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप**

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येतर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येतर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन / शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद / नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
<b>अधिकतम पूर्णांक सीमा</b>	<b>20</b>

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों / विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप-प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, बर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन / प्रशिक्षण अंतराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय / प्रादेशिक (5 अंक)	10
<b>अधिकतम पूर्णांक सीमा</b>	<b>15</b>

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	10
विषय संघ सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता	10
प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	

शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संरथानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहभागिता (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 5 अंक)	10
शिक्षा पर राज्य/केन्द्रीय निकायों/समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन : रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

### **वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान**

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंको को, तालिका-1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बॉट दिया जाएगा।

### **III एपीआई अंको का सारांश**

वर्ग एवं के लिए एपीआई प्राप्तांको को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010–11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011–12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आंकलन किया जाएगा। परंतु जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांको को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

### **IV**

इसी प्रकार पीबीएएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप-निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका- IV से IX में रेखांकित किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित है, इन संवगों द्वारा विकसित किया जायेगा।

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर

गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

भाग - एक नियुक्ति का विषय : •

प्रतिवेदित अधिकारी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा भरा जाए

1. पूरा नाम .....  
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें) .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....
4. शैक्षणिक अर्हता एवं वर्ष स्नातक ..... एम.फिल .....  
स्नातकोत्तर ..... पी.एच.डी. ....
5. वेतन व वेतनमान वेतन ..... वेतनमान .....
6. महाविद्यालयीन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी  
(अ) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक .....  
(ब) नियमित नियुक्ति का दिनांक : .....  
(स) वर्तमान पद एवं दिनांक : .....
7. वर्ष में किस-किस संस्था में पदस्थ रहे, अवधि का भी उल्लेख करें :  
(यदि एक से अधिक संस्था में कार्य किया हो तो प्रत्येक संस्था की कार्य अवधि के लिए पृथक कार्य भरा जाए)  
(1) .....  
(2) .....  
(3) .....

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा समीक्षा अवधि में किये गए कार्य की जानकारी :

क्र.	पढ़ाई गई कक्षा का स्तर	सेवण की संख्या	कुल छात्र संख्या	वर्ष के दौरान लिए गए पीरियड्स(कालखंड)की संख्या	व्याख्यान	प्रायोगिक	टिटोरियल	विशेष कोचिंग
------	------------------------	----------------	------------------	--	-----------	-----------	----------	--------------

1. स्नातक
2. स्नातकोत्तर
9. क्या उपस्थिति पंजी नियमित भरी गई
10. क्या उपस्थिति पंजी प्राचार्य को सौंपी गई
11. वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गये शोध कार्य का विवरण
12. प्रकाशित कार्य का विवरण
13. कितने छात्रों को शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किये  
 (अ) एम.फिल. के कितने छात्रों को  
 (ब) पी.एच.डी. के कितने छात्रों को
14. कितने कमजोर छात्रों को विशेष कोचिंग दी
15. वर्ष में कितनी नई पुस्तकों का अध्ययन किया  
 (पुस्तकों का नाम व लेखकों का नाम लिखें)
16. वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश की प्रकृति एवं दिवस
17. शैक्षणिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण  
 (अ) एन.सी.सी.  
 (ब) एन.एस.एस.  
 (स) परीक्षा संचालन  
 (महाविद्यालयीन परीक्षा संचालन में क्या कार्य किया कार्य की प्रकृति एवं कितने दिन इस कार्य का संचालन किया)  
 (द) महाविद्यालय प्रशासन के लिए किये गए कार्य  
 (जैसे अनुशासन, जॉच कार्य, छात्रसंघ आदि)  
 (इ) अन्य कार्य  
 (जैसे खेल संबंधी, सेमीनार आदि)

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक

के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक .....

भाग – दो  
(प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति)

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भाग–१ में दिये स्वमूल्यांकन पर टीप

1. क्या प्रतिवेदन अधिकारी के स्वमूल्यांकन में उल्लेखित किसी बिन्दु से आप सहमत है ? यदि हो हो तो विवरण दें .....
2. महाविद्यालय उत्तरदायित्वों को समय पर पूर्ण करने में रुचि .....
3. क्या इन्होंने आबंटित कोर्स पूर्ण किया .....
4. छात्रों के लिये प्रयास .....  
(अ) देदियमान छात्रों के लिये क्या प्रयास किये .....  
(ब) कमज़ोर छात्रों के लिये क्या प्रयास किये .....  
.....
5. उपरोक्त के क्या परिणाम रहे .....  
.....
6. प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कार्यों में क्या तत्परता रही .....  
.....
7. निष्ठा .....  
.....
8. प्रतिवेदक अधिकारी का समग्र मूल्यांकन  
(उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / साधारण / घटिया)  
टीप उत्कृष्ट या घटिया वर्गीकरण करने पर इनका औचित्य भी  
स्पष्ट करें

दिनांक .....

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

पदनाम .....

भाग – तीन

(समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति)

1. क्या आप प्रतिवेदक अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत है .....  
.....
2. यदि नहीं, तो कारणों सहित अपना अभिमत दें .....  
.....

दिनांक .....

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

पदनाम .....

भाग – चार

(स्वीकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति)

पिनांक .....

स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

पदनाम .....

# **Effective Performance Appraisal System**

## **For Non-Teaching Staff**

## प्रपत्र – दो

तृतीय श्रेणी एवं अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने का प्रपत्र 31 मार्च, ..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ।

1.	पूरा नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	.....
2.	जन्म तिथि	.....
3.	धारित पदनाम (मूल/स्थानापन्न/अस्थायी)	.....
4.	वरिष्ठता सूची क्रमांक	.....
5.	प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक	.....
6.	वर्तमान पद पर पदोन्नति दिनांक (यदि हो तो)	.....
7.	वेतन	.....
8.	कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण	.....
9.	व्यक्तित्व एवं व्यवहार	.....
10.	आचरण/चरित्र	.....
11.	प्रारूप और टीप लिखने की योग्यता	.....
12.	कार्यालय प्रक्रिया और नियमों का ज्ञान तथा प्रयास करने की योग्यता	.....
13.	प्रकरण के परीक्षण की क्षमता	.....
14.	कार्य के निपटारे की तत्परता	.....
15.	उपस्थिति की नियमितता और समय की पाबंदी	.....
16.	उच्च अधिकारियों एवं सहमागियों से संबंध	.....
17.	नित्य कार्य जैसे—असिस्टेंट की डायरी का रख—रखाव, गार्ड फाइलें, रिकार्डिंग आदि का ध्यान रखा जाना	.....
18.	सनिष्ठा	.....
19.	कर्मचारी द्वारा यदि कोई असाधारण या उल्लेखनीय कार्य किया गया हो तो वह संक्षेप में बतावें।	.....
20.	पदोन्नति की उपयुक्तता	.....
21.	श्रेणीकरण (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया) उत्कृष्ट श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जाय जबकि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर देखा गया हो । ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधार भी स्पष्ट रूप से बताया जावे ।	.....
स्थान	.....	
दिनांक	.....	

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम.....  
पदनाम .....

11211

### समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

### स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

### आवश्यक निर्देश—

लिपिक के विशेष कार्य/उपलब्धि का  
उल्लेख सामान्य टीप में किया जावे।

## प्रपत्र – दो

चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के संबंध में प्रतिवर्ष माह—अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिखी  
जाने वाली चरित्र पंजी का फार्म 31 मार्च .....  
को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

1. कर्मचारी का नाम, पिता अथवा पति का .....  
नाम, निवास / स्थान और .....
2. जन्मतिथि .....
3. शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई हो .....
4. वरिष्ठता सूची में कमांक .....
5. वेतन .....
6. पद का नाम / स्थायी / अस्थायी .....
7. नियमित नियुक्ति की तिथि .....
8. कार्य का स्थान .....
9. अवधि जिसके लिए मत आंकित किया जा रहा है .....
10. आचरण / व्यवहार तथा आज्ञाकारिता .....
11. समय की पाबंदी .....
12. शारीरिक क्षमता .....
13. सौपे गये कार्य को करने की समझ और योग्यता .....  
**इति**
14. स्थानांतरण, दण्ड यदि के संबंध में सामान्य मत .....
15. श्रेणीकरण (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा /  
साधारण / घटिया)  
उत्कृष्ट श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जाय जबकि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य  
निष्पादन स्तर देखा गया हो। ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधार भी स्पष्ट रूप से बताया जावे।

स्थान : .....  
दिनांक : .....

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

नाम / हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....